रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1971/फाल्गुन 26, 1892

No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1971/PHALGUNA 26 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th March 1971

No. 77(1)/71-Leg.—The following order of the President, dated the 17th March, 1971, is published for general information:—

"Whereas the office of the Speaker will become vacant immediately before the commencement of the first meeting of the House of the People on the 19th March, 1971, and the office of the Deputy Speaker is also vacant;

In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 95 of the Constitution of India, I hereby appoint Shri Govind Das, a Member of the House of the People, to perform the duties of the office of Speaker from the commencement of the said meeting and until the Speaker shall have been chosen by the said House.

V. V. GIRI,
President."

संसद कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1971

संख्या 77(1)/71-लेज०.—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश दिनांक 17 मार्च, 1971 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"जबकि 19 मार्च, 1971 को लोक सभा की पहली बैठक आरम्भ होने के तुरन्त पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जायेगा और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है ;

भारत के संविधान के अनुच्छेद 95 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एतद्द्वारा लोक सभा के सदस्य श्री गोविन्द दास को, उक्त बैठक के प्रारम्भ से उस समय तक के लिये जब तक कि उक्त सभा द्वारा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जायेगा, अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये नियुक्त करता हूं ।

व० वे० गिरि
राष्ट्रपति

No. 77(1)/71-Leg. 2.—The following order of the President, dated the 17th March, 1971, is published for general information:—

"I hereby appoint Shri Govind Das, Prof. R. D. Bhandare, Shri Jyotirmoy Basu and Shri K. Manoharan to be the persons before any of whom Members of the House of the People may make and subscribe the oath or affirmation in accordance with the provisions of article 99 of the Constitution of India.

V. V. GIRI,
President."

H. N. TRIVEDI, Secy.

संख्या 77(1)/71-लेज०2.—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश दिनांक 17 मार्च, 1971 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"मैं एतद्द्वारा श्री गोविन्द दास, प्रो० आर० डी० भंडारे, श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री के० मनोहरन् को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी सामने लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबन्धों के अनुसार शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

एच० एन० त्रिवेदी, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971